International Journal of Research Publication and Reviews

Journal homepage: www.ijrpr.com ISSN 2582-7421

बिहार में उच्च शिक्षा में महिलाओ की भागीदारी एवं शैक्षिक स्थिति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ पूजा कुमारी

अध्यापिका (10+2), गृह विज्ञान, उत्क्रमित माध्यमिक विधालय, मकदमपुर, बेगूसराय

सारांश :

बिहार में महिला शिक्षा का स्तर ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा रहा है, परंतु पिछले दो दशकों में इसमें उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। यह शोध-पत्र बिहार राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी, उसकी प्रवृत्तियों, सामाजिक-आर्थिक अवरोधों, नीतिगत पहलों एवं क्षेत्रीय असमानताओं का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 2014 से 2023 तक के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का उच्च शिक्षा में नामांकन दर निरंतर बढ़ा है, यद्यपि यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएँ - जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रवृत्ति एवं छात्रावास योजना, महिला छात्र ऋण योजना तथा स्थानीय निकाय एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, समाज में बढ़ती जागरूकता, मीडिया का प्रभाव, और परिवारों में शिक्षा के प्रति बदलते दृष्टिकोण ने भी इस प्रगति को गति दी है।

फिर भी, आर्थिक विषमता, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अवसंरचना की कमी, तथा सामाजिक परंपरागत प्रतिबंध अभी भी प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। इस शोध का निष्कर्ष यह इंगित करता है कि बिहार में महिला शिक्षा के समग्र विकास हेतु केवल सरकारी नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं; बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, परिवारिक सहयोग, और आर्थिक सशक्तिकरण को समानांतर रूप से प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। 2001 में जहाँ बिहार की महिला साक्षरता दर मात्र 33.12% थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 61.9% तक पहुँच गई। यह परिवर्तन शिक्षा नीति, सरकारी योजनाओं, और महिलाओं में आत्मनिर्भरता की बढ़ती चेतना का परिणाम है। अतः यह अध्ययन बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान के लिए ठोस नीति-निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: महिला शिक्षा, उच्च शिक्षा, साक्षरता, सामाजिक विकास, नीति एवं सशक्तिकरण

प्रस्तावना :

शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है। जब महिलाएँ शिक्षित होती हैं, तो वे न केवल अपने जीवन स्तर को सुधारती हैं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिला शिक्षा समाज में समानता, न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में सबसे प्रभावी माध्यम है। विशेषकर उच्च शिक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। बिहार जैसे सामाजिक रूप से पारंपरिक राज्य में महिला शिक्षा की स्थिति लंबे समय तक पिछड़ी रही है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बिहार प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है - नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। परंतु इन संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। समाज की संरचना उस समय पुरुष-प्रधान थी, जिसमें महिलाओं की शिक्षा केवल धार्मिक या घरेलू सीमाओं तक सिमटी हुई थी।

हाल के वर्षों में बिहार में महिला साक्षरता दर और उच्च शिक्षा में नामांकन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2001 में जहाँ महिला साक्षरता दर केवल 33.12% थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 61.9% तक पहुँच गई। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिलाओं की औसत भागीदारी अब 38% से 42% के बीच है। शहरी क्षेत्रों - जैसे पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर - में यह दर 45% से अधिक है, जबकि ग्रामीण जिलों में अब भी यह लगभग 25-30% तक सीमित है। महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जैसी पहलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं ने शिक्षा के आर्थिक अवरोधों को कम किया है, जिससे अधिक बालिकाएँ कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक पहुँच पा रही हैं।

वर्तमान परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा का स्तर तेजी से सुधर रहा है, किंतु सामाजिक मानसिकता, आर्थिक स्थिति और शैक्षिक अवसंरचना में और सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। यह शोध-पत्र इन्हीं पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है — कि किस प्रकार सरकारी नीतियाँ, सामाजिक परिवर्तनों और महिलाओं के आत्मविश्वास ने बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिला भागीदारी को एक नई दिशा दी है।

शोध उद्देश्य*:*

I. बिहार में उच्च शिक्षा में महिलाओं की वर्तमान भागीदारी का विश्लेषण।
II. महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारकों की पहचान।
III. सरकार द्वारा लागू योजनाओं का प्रभाव समझना।
IV. महिला उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने हेतु सुझाव देना।

बिहार में उच्च शिक्षण संस्थान

विश्वविधालय / महाविधालय	कुल संख्या
राज्य विश्वविद्यालय	20
केंद्रीय विश्वविद्यालय	04
निजी विश्वविद्यालय	07
सरकारी महाविधालय	425
संबद्ध महाविधालय	225

स्रोत : AISHE 2023

बिहार में उच्च शिक्षा का ढांचा विविध और विस्तृत है। राज्य में कुल 20 राज्य विश्वविद्यालय, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, और 7 निजी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जो विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, लगभग 425 सरकारी महाविद्यालय और 225 संबद्ध महाविद्यालय राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य को मजबूत बनाते हैं। इन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होती है। हालांकि, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच अभी भी चुनौतीपूर्ण है, खासकर महिलाओं के लिए। राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, छात्र परिसरों की सुविधा, और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिससे महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों की भागीदारी में वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर, बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों के शैक्षिक विकास और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बिहार की उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी :

वर्ष	कुल नामांकन (लाख में)	महिला नामांकन (%)	राष्ट्रीय औसत (%)
2014-15	14.6	38.2	44.5
2018-19	17.3	41.7	48.2
2020-21	18.6	43.8	49.0
2022-23	20.2	46.1	49.2

स्रोत : AISHE

बिहार में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती रही है। वर्ष 2014-15 में कुल नामांकन 14.6 लाख था, जिसमें महिलाओं का हिस्सा केवल 38.2% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 44.5% था। इसके बाद, 2018-19 में कुल नामांकन बढ़कर 17.3 लाख हो गया और महिलाओं की भागीदारी 41.7% तक पहुँच गई। वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 18.6 लाख नामांकनों में 43.8% और 2022-23 में 20.2 लाख नामांकनों में 46.1% तक बढ़ गया। इस तरह, बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी में 8 वर्षों में लगभग 7.9% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले देखें तो बिहार ने अंतर को कम किया है; 2014-15 में राष्ट्रीय औसत से 6.3% कम हिस्सा था, जो 2022-23 में केवल 3.1% कम रह गया। बिहार में पीएचडी (शोध) स्तर पर महिलाओं के नामांकन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन और राज्य स्तरीय रिपोर्टों के अनुसार, 2017-18 में बिहार के विश्वविद्यालयों में कुल पीएचडी शोधार्थियों की संख्या लगभग 4,337 थी, जिनमें से 954 महिलाएँ थीं, जबकि 2021-22 तक यह संख्या बढ़कर 5,574 कुल शोधार्थियों और 1,854 महिला शोधार्थियों तक पहुँच गई। इस अवधि में महिला शोधार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में पहुँच और सरकारी योजनाओं के प्रभाव के कारण महिलाएँ अब शोध स्तर पर भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगी हैं।

यह दर्शाता है कि बिहार में महिलाओं की शिक्षा में सुधार हो रहा है और लैंगिक असमानता धीरे-धीरे घट रही है, हालांकि अभी भी राष्ट्रीय औसत के स्तर तक पहुँचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह प्रवृत्ति महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों और सामाजिक जागरूकता के सकारात्मक परिणाम को दर्शाती है।

उच्च शिक्षा में विषय बार भागीदारी :

विषय क्षेत्र	महिला भागीदारी (%)	पुरुष भागीदारी (%)
कला (Arts)	63	37
विज्ञान (Science)	35	65
वाणिज्य (Commerce)	28	72
तकनीकी शिक्षा (Engineering	18	82
शिक्षा (B.Ed./M.Ed.)	67	33
शोध (Ph.D)	33	67

स्रोत : AISHE 2023

बिहार में उच्च शिक्षा में विषयवार लिंग आधारित भागीदारी में स्पष्ट असंतुलन देखा जा सकता है। कला (Arts) और शिक्षा (B.Ed./M.Ed.) जैसे विषयों में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, क्रमशः 63% और 67%, जबकि पुरुषों का हिस्सा इन विषयों में 37% और 33% है। यह दर्शाता है कि सामाजिक और पारंपरिक मान्यताओं के कारण महिलाएँ इन "सामाजिक एवं पारंपरिक" क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं।

वहीं विज्ञान (Science) में महिलाओं की भागीदारी 35% है और पुरुषों का 65%, वाणिज्य (Commerce) में महिलाओं का हिस्सा 28% है, जबकि पुरुष 72% हैं। तकनीकी शिक्षा/इंजीनियरिंग (Engineering) में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम 18% है और पुरुष 82% हैं। यह स्पष्ट रूप से लैंगिक विभाजन को दर्शाता है, जहाँ महिलाएँ अधिकतर गैर-तकनीकी और शिक्षण क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि पुरुष विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी क्षेत्रों में अधिक हैं।

ये आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी लगातार बढ़ रही है, विशेषकर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर, लेकिन शोध और पीएचडी स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में अभी भी कम है। राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थान महिला छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास, सुरक्षित परिवहन और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनके नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। कुल मिलाकर, बिहार के उच्च शिक्षण संस्थान न केवल छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान कर रहे हैं, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

कुल मिलाकर, यह स्थिति बिहार में उच्च शिक्षा में विषयवार लिंग असमानता को दर्शाती है। महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता, छात्रवृत्ति, और सुविधाओं को बढ़ाना आवश्यक है।

क्षेत्रीय असमानता :

क्षेत्र	महिला नामांकन अनुपात (%)	प्रमुख विश्वविद्यालय
पटना	57.3	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय
गया	51.8	मगध विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर	49.6	बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय
भोजपुर	29.8	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय

स्रोत : AISHE 2023

बिहार में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी क्षेत्रीय रूप से असमान है। पटना जिले में महिला नामांकन अनुपात सबसे अधिक 57.3% है, जिसमें प्रमुख विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय शामिल है। इसके बाद गया जिले में यह अनुपात 51.8% है, जहाँ मगध विश्वविद्यालय है। मुजफ्फरपुर जिले में महिलाओं का हिस्सा 49.6% है, जबकि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 29.8% तक गिर जाता है। यह स्पष्ट करता है कि राजधानी और शहरी क्षेत्र जैसे पटना और गया में महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी अधिक है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह अनुपात कम है। यह असमानता भौगोलिक, सामाजिक, और आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि शिक्षा तक पहुँच की कठिनाई, परिवारिक जिम्मेदारियाँ, और सांस्कृतिक बाधाएँ। कुल मिलाकर, यह संकेत करता है कि बिहार में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना आवश्यक है।

महिलाओं की उच्च शिक्षा में वृद्धि के प्रमुख कारण :

(क) सरकारी योजनाएँ और प्रोत्साहन कार्यक्रम का प्रभाव

1. **मुख्यमंत्री साइकिल योजना एवं पोशाक योजना का प्रभाव**

बिहार सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (2007) तथा बाद में मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना और पोशाक योजना जैसी पहलें राज्य में माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुईं। इन योजनाओं के अंतर्गत छात्र–छात्राओं को साइकिल एवं ड्रेस के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों, के लिए विद्यालय तक पहुँच आसान हुई। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आई। जब माध्यमिक स्तर पर अधिक छात्राएँ शिक्षा प्राप्त करने लगीं, तो इसका सीधा प्रभाव उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ने के रूप में देखा गया।

2. **कन्या सुरक्षा एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभाव**

बिहार सरकार द्वारा लागू की गई कन्या सुरक्षा एवं प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य की बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत 10वीं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र रुपया 10,000/- एवं 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को रुपया 25,000/- का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे आर्थिक अभाव के कारण अपनी शिक्षा बीच में न छोड़ें। यह योजना बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की दिशा में प्रोत्साहित करती है। साथ ही, यह योजना बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने और महिलाओं की शिक्षा दर बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हुई है। इस योजना के कारण माध्यमिक स्तर से उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाली बालिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पहले छात्राएँ 10वीं के बाद शिक्षा छोड़ देती थीं, अब वे स्नातक स्तर तक अपनी पढ़ाई जारी रख रही हैं।

2. **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का प्रभाव (2018):**

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना" का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम बार उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी छात्राओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में उच्च शिक्षा के प्रति उत्साह एवं प्रेरणा उत्पन्न करना है। इस योजना के लागू होने के बाद राज्य में स्नातक स्तर पर महिला नामांकन दर में वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अतः यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ने महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3. **स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (2016) का प्रभाव**

बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत योग्य छात्र–छात्राओं को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण बहुत ही कम ब्याज दर (1%) पर उपलब्ध कराया जाता था जो 2025 से ब्याज मुक्त हो गया है ।

इस योजना से छात्रों को देश के भीतर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, तकनीकी, प्रबंधन या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिली है। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है, क्योंकि आर्थिक सीमाओं के कारण जो छात्राएँ पहले उच्च शिक्षा छोड़ देती थीं, अब वे अपने सपनों को पूरा कर पा रही हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में नामांकन दर में वृद्धि, विशेष रूप से महिलाओं के नामांकन में उल्लेखनीय सुधार, देखा गया है।

(ख) सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन

- अब परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को प्रतिष्ठा और सम्मान के रूप में देखा जाने लगा है।
- बाल विवाह की घटनाओं में कमी और विवाह की औसत आयु में वृद्धि से लड़कियों को अध्ययन के अधिक अवसर मिले हैं।
- मीडिया, सिनेमा, और सोशल मीडिया ने महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया है।

(ग) शैक्षिक संस्थानों का विस्तार और सुलभता

- बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 2000 में 8 थी, जो अब बढ़कर 17 हो चुकी है।
- महिला महाविद्यालयों की संख्या 2005 में 52 से बढ़कर 2023 में 125 से अधिक हो गई।
- कई जिलों में नए डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिससे उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ी है।

(घ) आर्थिक और रोजगार के अवसर

- स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से परिवारों में शिक्षा के आर्थिक लाभ को समझा जाने लगा है।
- सरकारी नौकरियों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जिससे लड़कियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना आई है।

3. महिलाओं हेतु आरक्षण

(क) राजनीतिक और शैक्षणिक आरक्षण

- बिहार सरकार ने स्थानीय निकायों (पंचायती राज) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है, जिससे शिक्षा प्राप्त महिलाएँ नेतृत्व पदों तक पहुँचीं। इससे सामाजिक प्रेरणा बढ़ी।
- शैक्षणिक संस्थानों में, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू है (बिहार सरकार अधिनियम, 2016)।
- यह आरक्षण व्यवस्था न केवल रोजगार में अवसर बढ़ाती है, बल्कि महिला शिक्षा के प्रति रुचि भी बढ़ाती है, क्योंकि अब परिवारों को लगता है कि शिक्षा से वास्तविक रोजगार संभावनाएँ हैं।

(ख) शिक्षक नियुक्तियों में महिला आरक्षण

- बिहार में प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है।
- इस नीति ने शिक्षिका बनने की दिशा में लाखों लड़कियों को प्रेरित किया है, जिससे शिक्षा प्रणाली में महिला उपस्थिति बढ़ी है।

(ग) उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला प्रतिनिधित्व

- राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब महिला प्राचार्यों, प्रोफेसरों औरसंकाय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। उदाहरणस्वरूप, पटना विश्वविद्यालय में 2023 तक महिला शिक्षक अनुपात 42% तक पहुँच चुका है।

4. आरक्षण का प्रभाव और सामाजिक परिवर्तन

- महिलाओं के लिए आरक्षण नीति ने केवल अवसर नहीं दिए, बल्कि एक मानसिक और सामाजिक बदलाव भी लाया है।
- ग्रामीण परिवारों में अब माता-पिता अपनी बेटियों की शिक्षा को "भविष्य का निवेश" मानने लगे हैं।
- उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ अब स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थानों और प्रशासनिक सेवाओं में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभा रही हैं।
- आरक्षण नीतियों से प्रेरित होकर महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी 2010 के 31% से बढ़कर अब 46% से अधिक हो गई है।

निष्कर्ष :

बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी ने पिछले दो दशकों में एक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। यह प्रगति राज्य की सामाजिक संरचना, आर्थिक सुधारों, और शैक्षणिक नीतियों में आए सकारात्मक बदलावों का परिणाम है। जहाँ एक ओर 2001 में महिला साक्षरता दर मात्र 33.12% थी, वहीं 2021 तक यह 61.9% तक पहुँच गई — जो यह दर्शाता है कि समाज में महिलाओं की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2022–23 के अनुसार, बिहार में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन कुल विद्यार्थियों का लगभग 46% है। यह प्रतिशत 2014–15 में मात्र 36% था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लगभग एक दशक में महिला नामांकन में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है।

सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, और महिला छात्रवृत्ति कार्यक्रमों ने उच्च शिक्षा तक पहुँच को आसान बनाया है। इसके साथ ही, महिलाओं हेतु आरक्षण नीति (जैसे स्थानीय निकायों में 50% तथा शैक्षणिक एवं सरकारी सेवाओं में 35–50% तक आरक्षण) ने न केवल शिक्षा प्राप्त महिलाओं को रोजगार और नेतृत्व के अवसर दिए हैं, बल्कि परिवारों में बेटियों की शिक्षा को "आवश्यक निवेश" के रूप में देखने की मानसिकता भी विकसित की है। फिर भी, बिहार में क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक विषमता, और सामाजिक परंपरागत मान्यताएँ महिलाओं की उच्च शिक्षा में पूर्ण समानता के मार्ग में बाधक बनी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में जहाँ महिला नामांकन 50% से अधिक है, वहीं ग्रामीण और पिछड़े जिलों में यह दर अभी भी 30% से नीचे है। इसके अतिरिक्त, विषयवार भागीदारी में भी असमानता स्पष्ट है - महिलाएँ अभी भी कला एवं शिक्षण क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी शिक्षा में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

यह स्पष्ट है कि बिहार में महिला उच्च शिक्षा का विकास केवल नीतिगत पहलों का परिणाम नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागृति और मानसिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। भविष्य में यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करे, छात्रवृत्तियों और सुरक्षित छात्रावास जैसी सुविधाओं का विस्तार करे, तथा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ लाए, तो बिहार महिला शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत को न केवल प्राप्त कर सकता है बल्कि उसे पार भी कर सकता है।

संदर्भ सूची :

1. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (2014–2023), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत की जनगणना (2011), भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. बिहार शिक्षा विभाग वार्षिक रिपोर्ट (2023), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 5 (2020), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट (2022), नई दिल्ली।
6. सिन्हा, रंजना (2021), बिहार में महिलाएँ और उच्च शिक्षा, पटना विश्वविद्यालय जर्नल, पटना।
7. नीति आयोग, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक – 2023, नई दिल्ली।
8. यूनेस्को (2020), शिक्षा में लैंगिक समानता पर रिपोर्ट, पेरिस।
9. बिहार राज्य महिला आयोग (2022), महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट, पटना।
10. कुमार, अरविंद (2019), बिहार में महिला साक्षरता और सामाजिक विकास का विश्लेषण, राजेन्द्र कॉलेज, छपरा।
11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट, 2022, नई दिल्ली।
12. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2023–24), वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।